

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) विविध-15 -04/14 (खण्ड)

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री विद्याभूषण (आई०डी०-J8120) सहायक अभियंता अनुमण्डल पदमा (लघु सिंचाई प्रमण्डल हजारीबाग) को विभागीय अधिसूचना सं० 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा अवर प्रमण्डल सं०-4 (जसीडीह सिंचाई प्रमण्डल जसीडीह) में पदस्थापित किया गया था। श्री चौधरी द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2716 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री चौधरी से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौधरी के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1736 दिनांक 10.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :-

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री चौधरी द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौधरी के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौधरी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

89-

ज्ञापांक - 3036

सरकार के अवर सचिव (नि०)

राँची, दिनांक - 08-06-16

प्रतिलिपि - महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग राँची/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, देवघर/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता जलपथ अंचल हजारीबाग/श्री विद्याभूषण चौधरी, प्राक्कलन पदाधिकारी जलपथ अंचल हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव (नि०)

Am
08.06.16